

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांक:-एफ-2()बजट/सैग/ICDS/18/44568

जयपुर, दिनांक:28-05-2020

निदेशक,
महिला अधिकारिता विभाग,
जयपुर।

विषय:-किशोरी बालिका के लिए पोषाहार योजनान्तर्गत बजट आवंटन वर्ष 2020-21

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण एवं पोषाहार योजनान्तर्गत गैर पोषणीय गतिविधियों के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में निम्न लेखा शीर्ष में बजट आवंटन किया जाता है:-

मांग संख्या-33
2236- पोषण
02- पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण
101- विशेष पोषण कार्यक्रम
(01)- समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम से
[12]- राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण एवं पोषाहार योजना (केन्द्रीय सहायता/राज्य निधि)

(राशि लाखों में)

क्र.सं	विस्तृत मद	केन्द्रीय सहायता	राज्य निधि	कुल आवंटन
1	28- विविध व्यय	83.94	55.96	139.90

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-II) विभाग की आई.डी. संख्या 162000395 दिनांक 27.5.20 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

आवंटित राशि का उपयोग नियमानुसार एवं विभाग के द्वारा योजना/गतिविधि क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा-निर्देशानुसार मैचिंग शेयर अनुपात में किया जाना सुनिश्चित करें।

sd/-
वित्तीय सलाहकार

क्रमांक:-एफ-2()बजट/आंव./ICDS/18/44569-70

जयपुर, दिनांक:28-05-2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार), मुख्यालय को को भेजकर लेख है कि निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, जयपुर को उक्त राशि के उपयोग हेतु आहरण एवं वितरण अधिकारी घोषित करवाये जाने की कार्यवाही करावें।
2. ए.सी.पी., मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

www.rajteachers.com


वित्तीय सलाहकार